न्यायालयः– अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नोखा, बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :: **लीलूराम सिहाग, आर.जे.एस.**
नम्बरी फौजदारी प्रकरण संख्या :: 74/2013
सी.आई.एस. संख्या :: 2220/2014
सी.एन.आर. नंबर :: RJBK08–000160–2013

राजस्थान राज्य

–अभियोगी

बनाम

(1) **रामलाल** पुत्र सिमरथाराम,
(2) **हड़मान** पुत्र सिमरथाराम (**कार्यवाही अबेट दिनांक** 04.06.2022)
निवासीगण सिंजगुरु, नोखा पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर

–अभियुक्तगण

अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता

उपस्थितिः–

1– विद्वान अभियोजन अधिकारी – राज्य पक्ष की ओर से।
2– विद्वान अधिवक्ता श्री जयसिंह राठौड़ – अभियुक्त की ओर से।

:: निर्णय :: **दिनांक 13.03.2026**

1. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 14.01.2013 को समय 03:15 पी.एम. पर परिवादी सुखाराम ने एक पर्चा बयान इस आशय का दिया कि भोमाराम की औरत रुकमा ने उसकी माँ व बहन के जादू–टोना किया, जिससे वे बीमार रहने लगे, जिसका उन्होंने तांत्रिक से ईलाज करवाया। इस बात का पता चलने पर रामलाल, भोमाराम व हड़मान नाराज हो गए और उनसे रंजिश रखने लगे। दिनांक 13.01.2013 को करीब 07:00 बजे वह और उसकी पत्नी गीता टैक्सी लेकर गाँव में अपने घर पहुँचे और जैसे ही टैक्सी को घर में डालने लगे तो रामलाल, भोमाराम, हड़मान व रुकमा ने उसकी औरत को बाखल में पकड़कर मारना चाहा, जिस पर उसने बीच–बचाव किया तो हड़मान ने उसके सिर पर, भोमाराम ने उसके बाएँ पैर पर, रामलाल ने बाएँ हाथ पर लाठी की तथा रुकमा ने कुल्हाड़ी से उसके जीवणे हाथ की अंगूली पर मारी, तब उसने व उसकी पत्नी ने रोला किया तो रामदेव व उसकी माता लिछमा ने बीच–बचाव कर छुड़ाया, इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना नोखा, बीकानेर के द्वारा एफ.आई.आर. संख्या 45/2013 अंतर्गत धारा 323, 341, 452 भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्तगण रामलाल व हड़मान के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत आरोप पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया, जिस पर अभियुक्तगण के विरूद्ध

अपराध धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

नोट – हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त हड़मान पुत्र सिमरथाराम की मृत्यु होने के कारण उसके विरुद्ध कार्यवाही अबेट दिनांक 04.06.2022 को की गई है, अतः इस प्रक्रम पर अभियुक्त रामलाल की हद तक ही प्रकरण का विनिश्चय किया जा रहा है।

2. अभियुक्त को धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के तहत अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया, जिन्हें सुन व समझकर अभियुक्त द्वारा आरोप से इनकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. साक्ष्य अभियोजन में गवाह पी.ड.1 गीता देवी, पी.ड.2 लिछमा देवी, पी.ड.3 डॉ. तिलकराज, पी.ड.4 भल्लाराम, पी.ड.5 राजूराम, पी.ड.6 मोहनराम, पी.ड.7 लालाराम, पी.ड.8 महेन्द्र सिंह, पी.ड.9 मजीद खाँ एवं पी.ड.10 रामदेव को परीक्षित करवाया गया एवं प्रलेखीय साक्ष्य में प्रदर्श पी.1 सुखाराम का चोट प्रतिवेदन, प्रदर्श पी.2 सुखाराम की चोट एक्स–रे पर्ची व प्रतिवेदन पत्र, प्रदर्श पी.3 भल्लाराम के पुलिस बयान, प्रदर्श पी.4 नक्शामौका घटनास्थल, प्रदर्श पी.4ए हालातमौका घटनास्थल, प्रदर्श पी.5 राजूराम के पुलिस बयान, प्रदर्श पी.6 मोहनराम के पुलिस बयान, प्रदर्श पी.8 पर्चा बयान एवं लालाराम के पुलिस बयान, प्रदर्श पी.9 चाक एफ.आई.आर. एवं प्रदर्श पी.10 रामदेवी के पुलिस बयान एवं एक्स–रे प्लेट आर्टिकल 01 तो 04 को प्रदर्शित करवाया गया।

4. अभियुक्त को बयान मुल्जिम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अन्तर्गत परीक्षित किये जाने पर उसने प्रस्तुत अभियोजन साक्ष्य को गलत होना, स्वयं का निर्दोष होना बताया व साक्ष्य सफाई में किसी भी गवाह के बयान लेखबद्ध नहीं करवाए, लेकिन अभियुक्त द्वारा अभियोजन साक्षी की प्रतिपरीक्षा के दौरान दस्तावेज प्रदर्श डी.1 गीतादेवी के पुलिस बयान को प्रदर्शित करवाया।

5. बहस उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है किः–

> **"आया अभियुक्त ने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 13.01.2013 को शाम 07:00 पी.एम. पर वाके परिवादी सुखराम के मकान के आगे, ग्राम सिंजगुरू, नोखा पुलिस थाना नोखा में परिवादी सुखराम व उसकी पत्नी गीता देवी का रास्ता रोककर उनका सदोष अवरोध कारित कर, उनके साथ थाप–मुक्कों एवं लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण एवं गंभीर उपहति कारित की ?" यदि हां तो अभियुक्त की उचित सजा क्या होगी?"**

6. उक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित हैं, अतः अभियुक्त को उपर्युक्त दण्ड से दण्डित किया जावे, जबकि इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का तर्क रहा है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से

अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं हैं, इसलिए अभियुक्त को दोषमुक्त किया जावे।

7. न्यायालय ने उभयपक्ष द्वारा अग्रेषित तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह **पी.डब्ल्यू 01 गीता देवी** एवं **पी.डब्ल्यू 02 लिछमा देवी** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि करीब साढ़े नौ साल पहले करीब 07:15 बजे गीता और उसका पति मजरूब सुखराम भागवत सुनकर घर आए और सुखराम बाहर गली में गया तो थोड़ी देर बाद लड़ाई की आवाज आने पर उन्होंने बाहर जाकर देखा तो रामलाल, हड़मान व भोमाराम सुखराम के साथ लकड़ियों से मारपीट कर रहे थे, जिससे सुखराम का पैर टूट गया और काफी खून आया, तत्पश्चात् वे सुखराम को छुड़ाकर अस्पताल लेकर गए।

8. चिकित्सीय साक्षी **पी.डब्ल्यू 03 डॉ. तिलकराज** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि दिनांक 13.01.2013 को पुलिस थाना नोखा के प्रतिवेदन पर मजरूब सुखराम के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया, जिसके शरीर पर सभी चोटें कुन्दालय से कारित थी तथा चोट संख्या 1, 2 व 4 साधारण प्रकृति की तथा बाद एक्स–रे चोट संख्या 3 अस्थिभंग होने के कारण गंभीर प्रकृति की पाई गई। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01, एक्स–रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 02 तथा एक्स–रे प्लेट आर्टिकल 01 ता 04 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं।

9. इसी प्रकार **पी.डब्ल्यू 04 भल्लाराम, पी.डब्ल्यू 06 मोहनराम, पी.डब्ल्यू 07 लालाराम** एवं **पी.डब्ल्यू 10 रामदेव** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि करीब 11–12 साल पहले उन्होंने सुखराम के साथ किसी को मारपीट करते नहीं देखा तथा **पी.डब्ल्यू 05 राजूराम** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किए कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

10. प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी **पी.डब्ल्यू 08 महेन्द्र सिंह रतनू** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया कि दिनांक 14.01.2013 को एफ.आई.आर संख्या 45/2013 प्रदर्श पी 09 की तफ्तीश में उसने मजरूब सुखराम की चोटों का चोट प्रतिवेदन, एक्स–रे रिपोर्ट तथा एक्स–रे प्लेट शामिल पत्रावली की। घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्श पी 04 व हालातमौका प्रदर्श पी 4ए पर ए से बी, सी से डी मोतबिरान तथा ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। सुखराम का पर्चा बयान प्रदर्श पी 08 पर ए से बी सुखराम के हस्ताक्षर, सी से डी कार्यवाही पुलिस, ई से एफ नाहर सिंह के हस्ताक्षर, जी से एच कायमी मुकदमा का पृष्ठांकन तथा के से एल मजीद खान के हस्ताक्षर हैं। तफ्तीश से उसने अभियुक्तगण रामलाल व हड़मान के विरुद्ध जुर्म धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में जुर्म प्रमाणित मान पत्रावली एस.एच.ओ. मजीद खां को सुपुर्द की, जिन्होंने अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

11. इसी प्रकार **पी.डब्ल्यू 09 मजीद खान** ने अपनी **मुख्य परीक्षा** में यह कथन किया कि दिनांक 14.01.2012 को परिवादी सुखाराम द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर चाक एफ.आई.आर. 45/2013 पुलिस थाना नोखा प्रदर्श पी 09 पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। महेन्द्र सिंह की तफ्तीश के आधार पर अभियुक्तगण रामलाल व हड़मान के विरुद्ध जुर्म धारा 323, 341, 325, 34 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।

12. पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के सम्बन्ध में विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त का अपनी बहस में यह तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण का महत्वपूर्ण साक्षी एवं आहत सुखाराम परीक्षित ही नहीं हुआ तथा सुखाराम द्वारा अपने पर्चा बयान में जो तथ्य प्रकट किए हैं, उसकी ताईद गवाह गीता देवी एवं लिछमा देवी ने भी नहीं की है। परिवादी सुखाराम के पर्चा बयान के मुताबिक वरवक्त घटना मौका पर उपस्थित गवाह भल्लाराम, राजूराम, मोहनराम, लालाराम तथा रामदेव ने अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है और ये सभी गवाह पक्षद्रोही हुए हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से ऐसा कोई चक्षुदर्शी साक्षी पेश होकर परीक्षित नहीं हुआ, जिसने तथाकथित घटना की ताईद की हो। मजरूबा गीता देवी ने भी अपने साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट कर उपहति कारित करने के सम्बन्ध में कोई कथन ही नहीं किए हैं। अधिवक्ता अभियुक्त ने अपने तर्कों के समर्थन में माननीय न्यायालय के निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किएः–

1. "(2009) 6 SCC 444 State of Punjab Vs. Sohan Singh"
2. "AIR 1996 SC 2184 S. Gopal Reddy Vs State of Andhra Pradesh"

13. जबकि इसके विपरीत अभियोजन अधिकारी ने बहस के जवाब में तर्क दिया कि दस्तावेज पर्चा बयान सुखाराम प्रदर्श पी 08 एवं गवाह गीता देवी व लिछमा देवी ने आरोपीगण द्वारा आहत सुखाराम के साथ मारपीट कर उपहति कारित करने के तथ्य की पुष्टि स्पष्ट रूप से की है और चिकित्सीय साक्षी डॉ. तिकलराज की मौखिक साक्ष्य के साथ–साथ मजरूब के चोट प्रतिवेदन से भी उपहति कारित होना स्पष्ट रूप से साबित है। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने भी अपने अनुसंधानिक निष्कर्ष में अभियुक्त द्वारा अपराध कारित करना स्पष्ट रूप से प्रमाणित माना है।

14. बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों और मौखिक साक्ष्य तथा उभयपक्षकारान द्वारा अपनी बहस में दिए गए तर्कों के संदर्भ में न्यायालय का विनिश्चय इस प्रकार से है कि दस्तावेज प्रदर्श पी 08 पर्चा बयान सुखाराम में आहत ने यह प्रकट किया कि दिनांक 13.01.2013 को शाम के 04:00–04:30 बजे वह तथा उसकी औरत दोनों टैक्सी लेकर रवाना हुए एवं करीब 07:00 बजे गाँव पहुँचे और उसकी औरत ने टैक्सी घर में डालने के लिए खिड़क खोली, तब वह टैक्सी घर में डालने लगा तो रामलाल, भोमाराम, हड़मान तथा भोमाराम की औरत रुकमा ने उसकी औरत को बाखल में पकड़कर मारना चाहा, तब वह बीच में पड़ा तो तीनों ने उसके साथ मारपीट की, तब उसका बहनोई रामदेव व उसकी माता लिछमा ने बीच–बचाव कर छुड़ाया।

15. चूँकि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण का अहम एवं महत्वपूर्ण गवाह आहत सुखाराम की मृत्यु होने के कारण गवाह न्यायालय में परीक्षित नहीं हुआ, लेकिन

आहत सुखाराम के पर्चा बयान प्रदर्श पी 08 के अनुसार वरवक्त घटना मौका पर उपस्थित गवाह गीता देवी, रामदेव व लिछमा के सशपथ कथन के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि गीता देवी द्वारा अपने और अपने पति का भागवत कथा सुनकर घर में आना और उसका पति बाहर जब गली में गया, तब लड़ाई की आवाज सुनाई दी तो रामलाल, हड़मान व भोमाराम लकड़ियों से उसके पति के साथ मारपीट कर रहे थे और वह अपने पति को छुड़ाकर घर पर ले आई तथा वरवक्त घटना मौका पर उसका नानदा राजूराम भी आ गया था, लेकिन गीता देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में वरवक्त घटना अपना स्वयं का घर में खाना बनाना और रोला सुनने पर गली में जाना और उसके पहुँचने से पहले रामेश्वर, अखाराम, मघाराम व भंवराराम का घटनास्थल पर उपस्थित होना बताया है और जब वह मौका पर गई तो उसका पति वहाँ बैठा था और अंधेरा था, इस प्रकार दस्तावेज प्रदर्श पी 08 पर्चा बयान के अनुसार अभियोजन कहानी के मुताबिक आरोपीगण द्वारा परिवादी सुखाराम के घर की बाखल में उसकी पत्नी गीता देवी के साथ मारपीट का प्रयास करना और तत्पश्चात सुखाराम के साथ आरोपीगण द्वारा मारपीट कर चोट कारित करना प्रकट हुआ है, लेकिन गीता देवी ने इस तथ्य का खण्डन करते हुए स्वयं का तो घर में खाना बनाना और बाहर गली में झगड़ा होना बताया, इसके साथ–साथ गीता देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में घटनास्थल पर पहुँचने पर रामेश्वर, अखाराम, मघाराम व भंवराराम का भी उपस्थित होना बताया है, इस कारण पर्चा बयान प्रदर्श पी 08 पर अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाह गीता देवी एवं लिछमा देवी ने भी अपने सशपथ कथन में गली में झगड़ा होना बताया, जिस कारण अभियोजन कहानी से एक प्रकार से घटनास्थल एवं मजरूबा गीता के साथ मारपीट करने आदि के तथ्य के सम्बन्ध में विरोधाभासी तथ्य ही प्रकट हुए हैं।

16. गवाह लिछमा ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में गली में झगड़ा होना और सुखाराम के साथ मारपीट रामलाल, हड़मान, भोमाराम द्वारा लकड़ियों से करना बताया, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा में अधिवक्ता अभियुक्त के इस सुझाव को भी स्वीकार किया कि जब वह मौका पर गई, उस समय मारपीट हो चुकी थी और काफी भीड़ थी तथा किसने कहाँ मारी, अंधेरा होने के कारण वह नहीं बता सकती, इस प्रकार एक प्रकार से गवाह गीता देवी एवं लिछमा देवी ने अपनी मुख्य परीक्षा में तो अपने समक्ष आरोपीगण द्वारा सुखाराम के साथ मारपीट करना बताया, लेकिन अपनी प्रतिपरीक्षा में भी ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं किया कि आरोपीगण ने उनके समक्ष आहत सुखाराम के साथ मारपीट कर उपहति कारित की हो और इन दोनों गवाहान का घटना घटित होने के पश्चात् मौका पर जाने के कारण चक्षुदर्शी साक्षी की श्रेणी में भी नहीं आना स्पष्ट है।

17. दस्तावेज प्रदर्श पी 08 के अनुसार वरवक्त घटना मौका पर उपस्थित गवाह रामदेव की साक्ष्य के अवलोकन से भी यह प्रकट है कि गवाह रामदेव ने सुखाराम के साथ अभियुक्तगण रामलाल व हड़मान द्वारा मारपीट करते हुए नहीं देखना बताया है और यह गवाह पक्षद्रोही हुआ है, चूँकि गवाह रामदेव आहत सुखाराम का बहनोई है और इस गवाह ने भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की है। इसी प्रकार गवाह गीता देवी की

प्रतिपरीक्षा के अनुसार उसके घटनास्थल पर पहुँचने से पूर्व ही रामेश्वर, अखाराम, मघाराम व भंवराराम का मौका पर आना बताया है, लेकिन अभियोजन पक्ष की ओर से इन चारों व्यक्तियों का घटनास्थल पर उपस्थित होने के सम्बन्ध में इनको बतौर साक्षी न्यायालय में पेश कर परीक्षित ही नहीं करवाया है, इसके अलावा गवाह भल्लाराम, राजूराम, मोहनराम तथा लालाराम ने भी अभियोजन कहानी की ताईद नहीं की और ये सभी गवाह पक्षद्रोही हुए हैं।

18. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रदर्शित दस्तावेज चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 01 एवं चोट एक्स–रे पर्ची प्रदर्श पी 02 के अनुसार मजरूब सुखाराम के कुन्दालय हथियार से साधारण व गंभीर उपहति कारित होना प्रकट हुआ है और चिकित्सीय साक्षी डॉ. तिलकराज ने भी मजरूब सुखाराम के शरीर पर कुल चार चोटें आना और चोट संख्या 03 गंभीर प्रकृति की एवं अन्य सभी चोट साधारण प्रकृति की तथा कुन्द हथियार से कारित होना बताया है। चूँकि चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य के आधार पर मजरूब सुखाराम के शरीर पर चोट आना तो प्रकट हुआ है, लेकिन इससे यह स्वतः साबित नहीं होता कि यह चोट आरोपीगण द्वारा मारपीट कर कारित की गई हो।

अधिवक्ता अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **"(2009) 6 SCC 444 State of Punjab Vs. Sohan Singh"** के परिप्रेक्ष्य में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

We may place on record that one Inderjit Singh was an independent witness. On the purported ground that he had been won over, he was not examined, in support of the fact no material was brought on record. On what basis the said finding of fact was arrived at is not known... It is in that view of the matter the evidence of an independent witness was crucial. Indrajit Singh was an officer working in the Treasury Department. It is ordinarily not expected that a government servant would be won over so easily." The acquittal order was confirmed by Hon'ble Apex Court.

इसी प्रकार सम्मानित न्यायिक दृष्टांत **"AIR 1996 SC 2184 S. Gopal Reddy Vs State of Andhra Pradesh"** में माननीय न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है किः–

The courts below appear to have allowed emotions and sentiments, rather than legally admissible and trustworthy evidence, to influence their judgment. The evidence on the record does not establish the case against the appellant beyond a reasonable doubt. He is, therefore, entitled to the benefit of doubt.

19. अभियोजन पक्ष के गवाह महेन्द्रसिंह रतनू एस.आई. ने बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानना प्रकट किया और इस सुझाव को भी अपनी प्रतिपरीक्षा में स्वीकार किया कि उसने अपने अनुसंधानिक निष्कर्ष में धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित नहीं माना। प्रकरण के अनुसंधान अधिकारी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में गवाहों के बयान, चोट प्रतिवेदन व घटनास्थल के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध जुर्म प्रमाणित मानना बताया है, लेकिन पत्रावली के अवलोकन से

यह प्रकट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित गवाहान ने अपने पुलिस बयान में अंकित तथ्यों की ताईद अपने सशपथ कथन में नहीं की और पर्चा बयान प्रदर्श पी 08 सुखाराम में जो कहानी अभियोजन पक्ष द्वारा प्रकट हुई है, उसकी ताईद मृतक सुखाराम के पारिवारिक सदस्य उसकी पत्नी गीता देवी एवं उसकी माता लिछमा देवी ने भी नहीं की और गवाह गीता देवी और लिछमा देवी ने भी अपनी मुख्य परीक्षा में जो तथ्य प्रकट किए हैं, उसके विपरीत अपनी प्रतिपरीक्षा में घटना के घटित होने के बाद मौका पर जाना स्वयं प्रकट किया है और इसके साथ–साथ आहत सुखाराम के भी परीक्षित नहीं होने के कारण एवं अन्य सभी गवाहान के पक्षद्रोही होने पर उपरोक्त सम्मानित न्यायिक दृष्टांतों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन कहानी पर किसी भी प्रकार से विश्वास किया जाना न्यायोचित नहीं पाया गया है, जो एक प्रकार से संदेहास्पद ही प्रकट है।

20. इस प्रकार साक्ष्य के उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने सह–अभियुक्त के साथ मिलकर अपने सामान्य आशय के अग्रसरण में दिनांक 13.01.2013 को शाम 07:00 पी.एम. पर वाके परिवादी सुखराम के मकान के आगे, ग्राम सिंजगुरू, नोखा पुलिस थाना नोखा में परिवादी सुखराम व उसकी पत्नी गीता देवी का रास्ता रोककर उनका सदोष अवरोध कारित कर, उनके साथ थाप–मुक्कों एवं लाठियों से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया साधारण एवं गंभीर उपहति कारित की, अतः इस आधार पर अभियुक्त रामलाल को अपराध अन्तर्गत धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता में संदेह के आधार पर दोषमुक्त किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

:: आदेश ::

21. फलतः अभियुक्त (1) **रामलाल** पुत्र सिमरथाराम, निवासी सिंजगुरु, नोखा पुलिस थाना नोखा, जिला बीकानेर को अपराध अन्तर्गत **धारा 323, 341, 325 सपठित धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता** के तहत अपराध के आरोप में **संदेह के आधार** पर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है। अभियुक्त के न्यायालय में नियमित पेशी पर उपस्थित होने बाबत् पूर्व में प्रस्तुत जमानत एवं मुचलके निरस्त किए जाते हैं।

(लीलूराम सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नोखा, बीकानेर (राज.)

22. **निर्णय आज दिनांक 13.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।**

(लीलूराम सिहाग)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नोखा, बीकानेर (राज.)